

21-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अनुपस्थित। उसे जारी गिरफ्तार वारंट इस पंचनामे के साथ वापस प्राप्त कि अभियुक्त बाबा (सन्त्यासी) हो गया है, घर पर नहीं रहता।

अभियुक्त का भाई कालूराम उप०। उसकी ओर से एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रामबाबू द्वारा प्रकरण में सजा भुगत ली गयी थी और अर्थदण्ड की राशि दो हजार रुपये भी जेल गोहद में जमा करा दी, अतः जेल गोहद से जानकारी मंगाए जाने का निवेदन किया है।

उपजेल गोहद से जानकारी मंगाए जाने हेतु पत्र जारी हो।

प्रकरण जानकारी प्रस्तुति हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अनुपस्थित। उसकी ओर से भाई कालूराम उप०।

न्यायालय के ज्ञापन क्र० 317/18 दिनांक 21.05.18 के पालन में उपजेल गोहद के अधीक्षक का पत्र क्र० 438/वारंट/2018 दि० 21.05.18 इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि अभियुक्त को प्र०क्र० 998/06 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि० में न्यायालय श्री आर०पी० सोनकर, तत्कालीन जेएमएफसी गोहद के द्वारा एक-एक हजार कुल दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। बंदी द्वारा जेल के एम०पी०टी०सी० 6 बुक नंबर 6831 एम०आर० 33 दिनांक 24.07.2008 को जेल पर जमा किए जाने से अभियुक्त की प्रकरण में सजा भुगताए जाने के पश्चात् उक्त दिनांक को रिहा किया गया था।

इस प्रकार से अर्थदण्ड की राशि अभियुक्त द्वारा जमा किए जाने का तथ्य अभिलेख पर है। ऐसे में प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः संतुष्टि में प्रकरण समाप्त होता है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)